



शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या को रोकने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 887/2009 [SLP(C) 27295/2000] में पारित आदेश दिनांक 11.02.09 की कियान्विति के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रति (जो कि विभागीय वेबसाइट <http://dte.rajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है) संलग्न कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुरूप समस्त पॉलिटेक्निक संस्थानों में रैगिंग को रोके जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जावे।

प्रत्येक संस्थान में संस्थान स्तर पर एंटी रैगिंग कमेटी [Anti Ragging Committee] तथा एंटी रैगिंग स्क्वाड [Anti Ragging Squad] का गठन किया जावे। एंटी रैगिंग कमेटी तथा एंटी रैगिंग स्क्वाड के सदस्यों के चयन में विभिन्न संवर्ग का प्रतिनिधित्व हों, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित हो। एंटी रैगिंग कमेटी प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गठित होगी जिनमें निम्नानुसार प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जावे:-

- ❖ Representative of Civil and Police Administration
- ❖ Representative of Local Media
- ❖ Representative of N.G.O. involved in Youth Activities
- ❖ Representative of Faculty Members
- ❖ Representative of Parents
- ❖ Representative of Students belonging to the fresher's category as well as seniors
- ❖ Representative of Non - Teaching Staff

एंटी रैगिंग स्क्वाड संस्था प्रधान द्वारा एंटी रैगिंग कमेटी के प्रतिनिधियों में से संस्थान के ही प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए स्वयं की अध्यक्षता में तैयार किया गया एक उड़नु दस्ता होगा जो कि रैगिंग को रोके जाने के संबंध में सदैव सजग रहेगा तथा आकस्मिक रूप से छात्रावासों, एवं अन्य स्थानों जहाँ पर रैगिंग की संभावना हो, समय-समय पर निरीक्षण करेगा। एंटी रैगिंग स्क्वाड पूर्णतः एंटी रैगिंग कमेटी के निर्देशानुसार कार्य करेगा इस दस्ते में संस्थान के अतिरिक्त कोई भी बाहरी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा संस्थान परिसर में से ही विभिन्न संवर्गों में से इसमें प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

पॉलिटेक्निक संस्थान संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर की अध्यक्षता में स्थापित एंटी रैगिंग मोनिटरिंग सैल को इस संबंध में रिपोर्ट प्रेषित करेंगे तथा समय-समय पर मार्ग-दर्शन प्राप्त करेंगे।

प्रत्येक संस्थान में संस्था प्रधान द्वारा हॉस्टल वार्डन के मोबाईल फोन नम्बर और संस्थान के प्रधानाचार्य के दूरभाष नम्बर एवं एंटी रैगिंग कमेटी तथा एंटी रैगिंग स्क्वाड के सदस्यों के दूरभाष नम्बर, जिला स्तर एवं राज्य स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी के सदस्यों के दूरभाष नम्बरों की जानकारी विद्यार्थियों विशेष रूप से प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को दिये जाने हेतु पेम्पलेट के माध्यम से वितरित करने तथा प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ में सभी विद्यार्थियों से रैगिंग नहीं करने के संबंध में शपथ-पत्र लिये जाने की कार्यवाही भी की जावे।

प्रत्येक प्रधानाचार्य संस्थान में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी जिसमें शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक कार्मिक, अनुबन्ध पर कार्यरत कार्मिक, संस्थान परिसर में केन्टीन चलाने वाले ठेकेदार एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत कार्मिक, चौकीदार एवं अन्य सफाई कर्मी आदि समस्त कार्मिकों से इस आशय की अपडरेटिंग प्राप्त करेगा कि रैगिंग संबंधी कोई भी गतिविधि उक्त कार्मिक के ध्यान में आते ही वह इसकी सूचना तुरन्त प्रधानाचार्य को देगा।

नव प्रवेशित छात्रों को छोटे-छोटे समूह में विभाजित किया जाकर प्रत्येक समूह की जिम्मेवारी संस्थान में कार्यरत अध्यापकों/कार्मिकों को दी जावेगी उक्त कार्मिक अपने समूह के छात्रों से प्रतिदिन चर्चा कर उनकी समस्याओं एवं कठिनाईयों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेगा तथा इस संबंध में उनकी मदद हेतु आवश्यक कदम उठायेगा। यदि नव प्रवेशित छात्र छात्रावास में निवास करते हैं यह उस समूह के अध्यापक की जिम्मेवारी होगी कि वह अपने समूह के छात्रों एवं छात्रावास वार्डन से समन्वय स्थापित करें तथा इन छात्रों के कक्षों में आकस्मिक निरीक्षण कर रैगिंग नहीं लिया जाना सुनिश्चित करें। यदि नव प्रवेशित छात्रों हेतु पृथक से हॉस्टल ब्लॉक उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है तो छात्रावास वार्डन, सुरक्षा कर्मी, संस्थान कार्मिकों की जिम्मेवारी होगी कि वे वरिष्ठ छात्रों का नव प्रवेशित छात्रों के कक्षों में प्रवेश पर निगरानी रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि रैगिंग नहीं हो।

६०
(एस. के. सिंह)
निदेशक, प्राविधिक शिक्षा
दिनांक 13/8/09

कमांक :-5(Ragging)प्राशिनि/ई-2/ 7480-7140

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक प.18(3)त.शि./2002 दिनांक 17.7.09 के कम में प्रेषित कर निवेदन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार हॉस्टल वार्डन का हर पल दूरभाष अथवा संचार के अन्य माध्यमों द्वारा सम्पर्क किये जाने हेतु उपलब्ध होना आवश्यक है। अतः हॉस्टल वार्डन को संस्थान स्तर से मोबाईल फोन उपलब्ध करवाने की अभिशंषा की गयी है। इस संबंध में राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालयों के अराजकीय फण्ड से हॉस्टल वार्डन को मोबाईल फोन उपलब्ध करवाये जाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति जारी करने का श्रम करावें। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एंटी रैगिंग कमेटी [Anti Ragging Committee] का गठन किया जाना है अतः तदनु रूप राज्य सरकार स्तर से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।
3. संयुक्त निदेशक एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, राजस्थान, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपकी अध्यक्षता में एक एंटी रैगिंग मोनिटरिंग सेल स्थापित कर सभी पॉलिटैक्निक संस्थानों से समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त करें तथा इनमें कार्यरत एंटी रैगिंग कमेटी तथा एंटी रैगिंग स्क्वाड की गतिविधियों की मोनिटरिंग करें एवं समय-समय पर इनका मार्ग-दर्शन करें।
4. प्रधानाचार्य, सैमस्त राजकीय, निजी एवं पीपीपी पोलिटैक्निक

को शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या को रोकने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 887/2009 [SLP(C) 27295/2000] में पारित आदेश दिनांक 11.02.09 की क्रियान्विति के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम दिशा निर्देशों एवं उपरोक्त परिपत्र के अनुरूप रैगिंग को रोके जाने के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जावें।

5. प्रोगामर, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा